(7)

रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 210] नई दिल्ली, शनिवार, जून 21, 1969/ज्यैष्ठ 31, 1891

No. 210] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 21, 1969/JYAISTHA 31, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 21st June 1969

S.O. 2443.—Whereas difficulty has arisen in giving effect to certain provisions of section 25 of the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands (Civil Courts) Regulation, 1965 (Regulation 9 of 1965);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 26 of the said Regulation, the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands (Appeals to Civil Courts) Removal of Difficulties Order, 1969.

2. For the purposes of—

(a) any appeal pending immediately before the 1st day of November, 1967, in a court specified in column (1) of the table below, and

(b) any appeal from a judgment, decree or order passed or made by a court, which would have lain to a court specified in column (1) of the table below and which was not preferred before the 1st day of November, 1967,

the court specified in the corresponding entry in column (2) of the said table shall be deemed to be the corresponding court.

TABLE

(1)	(2)
Court of the Administrator (Collector) Courts of the Inspecting Officer (whether presided over by the Development Officer, Secretary to the Administrator or Tahsilar) Courts of Assistants to the Administrator.	Subordinate Judge, where the value of the original suit in which or in any proceeding arising out of which a decree or order was made is Rs. 5,000/- or less; High Court, where such value exceeds Rs. 5,000/-.

[No. F.9/1/68-UTL.]
K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृहमंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 जून 1969

का० आ० 2444.—यतः लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप (सिविल न्यायालय) विनियम 1965 (1965 का विनियम 9) की धारा 25 के कतिपय उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कठिनाई उत्पन्न हुई है;

अतः अब उक्त विनियम की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. यह आदेश लक्कादीव मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप (सिविल न्यायालयों को अपील) कठिनाइयों का निराकरण आदेश 1969 कहा जा सकेगा ।

2. (क) निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट किसी न्यायालय में नवम्बर 1967 के प्रथम दिन से ठीक पूर्व लम्बित किसी अपील के प्रयोजनों के लिए, तथा

(ख) किसी न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या डिक्री या किए गए किसी आदेश से किसी ऐसी अपील के प्रयोजनों के लिए जो निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट किसी न्यायालय को की जा सकती थी किन्तु नवम्बर, 1967 के प्रथम दिन से पूर्व नहीं की गई थी उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट न्यायालय तत्स्थानी न्यायालय समझा जाएगा ।

सारणी

(1)	(2)
प्रशासक का न्यायालय (कलेक्टर) निरीक्षण-कर्ता आफिसर के न्यायालय (चाहे उनकी अध्यक्षता विकास आफिसर करे या प्रशासक का सचिव या तहसीलदार) ।	अधीनस्थ न्यायाधीश, जहां कि उस मूल वाद का, जिसमें अथवा जिससे उद्भूत किसी कार्यवाही में कोई डिक्री या आदेश किया गया था, मूल्य 5,000 रुपये या उससे कम हो ।
प्रशासक-सहायकों के न्यायालय	उच्च न्यायालय जहां कि ऐसा मूल्य 5,000 रुपए से ऊपर हो ।

[सं० एफ० 9/1/68-यू० टी० एल०]
के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969